

प्रस्तावना

मार्च 2013 में समाप्त वर्ष के लिए यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) - वायु सेना, नौसेना, तटरक्षक तथा सैन्य अभियांत्रिक सेवायें की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टान्त वे हैं, जो 2012-13 की अवधि के लिए नमूना जांच लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आये, साथ में वे जो पूर्व वर्षों में देखने में आये किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट नहीं किये जा सके, 2012-13 के पश्चात् की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी सम्मिलित किये गये हैं, जहाँ कहीं आवश्यक है।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के साथ एकरूपता में यह लेखा परीक्षा की गई है।